कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 161/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 29.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 29.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट, थाना-तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

दिनांक– 29.04.2026

☐ 24 घण्टे के अन्दर निर्मम हत्या का खुलासा, बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

☐ बारात से बहाने ले जाकर युवक की ईंट से हत्या कर शव छुपाया

☐ हत्या में प्रयुक्त सामान व साक्ष्य सहित आरोपी पुलिस अभिरक्षा में

आजमगढ़। जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा एक सनसनीखेज हत्या की घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।

दिनांक 28.04.2026 को वादी श्री रामधारी प्रजापति निवासी ग्राम नासिरूद्दीनपुर थाना तहबरपुर द्वारा सूचना दी गई कि उनका भतीजा सूरज प्रजापति, जो बारात में गया था, संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया तथा बाद में उसका शव गांव के कब्रिस्तान में झाड़ियों में मिला। वादी द्वारा हत्या की आशंका व्यक्त किए जाने पर थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0 63/2026 धारा 103(1)/238 भा0न्या0सं0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी/पुलिस अभिरक्षा का विवरण:-

दिनांक 29.04.2026 को थाना तहबरपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नैपुरा अण्डरपास के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध बाल अपचारी को मोटरसाइकिल सहित रोका गया। पूछताछ में बाल अपचारी द्वारा घटना स्वीकार किए जाने पर उसे नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

अपराध का तरीका (Modus Operandi):

बाल अपचारी द्वारा पूर्व में हुए विवाद का बदला लेने की नीयत से योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। बारात के दौरान पत्तल लाने के बहाने मृतक को मोटरसाइकिल से सुनसान नहर किनारे ले जाकर पहले से पड़े ईंट से पीछे से वार कर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को नहर में छुपाया गया तथा बाद में घसीटकर कब्रिस्तान में झाड़ियों में छिपा दिया गया। घटना के बाद बाल अपचारी पुनः बारात में शामिल हो गया और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से खून लगे कपड़े व जूते छुपाकर उन्हें जलाने जा रहा था, तभी पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिया गया।

पूछताछ का सार:-

पूछताछ में बाल अपचारी द्वारा बताया गया कि मृतक के साथ पूर्व में हुए विवाद/मारपीट के कारण वह रंजिश रखता था और मौके की तलाश में था। घटना वाले दिन अकेला पाकर उसने हत्या कर दी।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 63/2026 धारा 103(1), 238 भा0न्या0सं0 थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

1. ₹310 नगद
2. एक अदद एंड्रायड मोबाइल (OPPO)
3. मोटरसाइकिल HF Deluxe (UP 50 CF 7963)
4. घटना के समय पहने गए खून लगे कपड़े व जूते

पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष आदित्य कुमार सिंह, उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी, का0 अनूप रावत, का0 ताहिर अली, का0 सत्यम सिंह, रि0आ0 मृत्युंजय सिंह, म0रि0आ मानशी मौर्य थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 28.04.2026

□ फर्जी क्लोन चेक बनाकर ठगी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार
□ ठगी में प्रयुक्त आभूषण (एक जोड़ी टप्स) बरामद

आजमगढ़। जनपद में अपराध नियंत्रण एवं ठगी/धोखाधड़ी के मामलों में प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा फर्जी क्लोन चेक के माध्यम से ठगी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया है।

दिनांक 25.04.2026 को वादी संजय कुमार पुत्र झिन्नूराम निवासी अबाड़ी थाना मुबारकपुर द्वारा सूचना दी गई कि उसकी माता सामू देवी से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आवास योजना के नाम पर ₹2,00,000 दिलाने का झांसा देकर कमीशन के रूप में धन की मांग की गई। धन न होने पर अभियुक्तों द्वारा उनकी माता के कान की बाली गिरवी रखवा ली गई तथा बैंक ऑफ बड़ौदा का ₹2,00,000 का फर्जी चेक दिया गया। इस संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 157/26 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचना के दौरान धारा 338, 336(3), 340(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:-
दिनांक 28.04.2026 को उ0नि0 अल्पेश्वर मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर भटौरा अंडरपास के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम विनय चतुर्वेदी पुत्र स्व0 भानु चतुर्वेदी निवासी ग्राम गुरदनपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ (हाल पता ग्राम कृतपुरा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर) बताया। अभियुक्त के कब्जे से एक जोड़ी टप्स (पीली धातु) बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का सार:-
पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए बताया गया कि वह अपने सहयोगी के साथ मिलकर लोगों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर ठगी करता है।

अभियुक्त का विवरण:-
1. विनय चतुर्वेदी पुत्र स्व0 भानु चतुर्वेदी निवासी ग्राम गुरदनपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ (हाल पता ग्राम कृतपुरा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर)

पंजीकृत अभियोग:-
मु0अ0सं0 157/26 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 317(2) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
बरामदगी:-
एक जोड़ी टप्स (पीली धातु)
गिरफ्तारी करने वाली टीम:-
उ0नि0 अल्पेश्वर मय हमराह, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 29.04.2026

☐ रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला 01 अभियुक्त पुलिस हिरासत में
☐ लाखों रुपये की धोखाधड़ी व फर्जी चेक मामले में वांछित आरोपी पकड़ा गया

आजमगढ़। जनपद में धोखाधड़ी एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया है।

प्रकरण के अनुसार दिनांक 18.01.2026 को वादी अनिल निषाद निवासी रतुआपार टोला देउरवा थाना अतरौलिया द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि विपक्षीगण द्वारा रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर विभिन्न व्यक्तियों से कुल लाखों रुपये (लगभग ₹22 लाख) की ठगी की गई तथा फर्जी ज्वाइनिंग लेटर एवं चेक दिए गए। चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर फर्जी पाए गए। इस संबंध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 0020/26 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(3), 3(5), 111(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरणः-
दिनांक 29.04.2026 को उ0नि0 देवीशंकर पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर कनैला तिराहे से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त कमलेश निषाद पुत्र दयाराम निषाद निवासी रतुआपार टोला देउरवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 42 वर्ष) को मोटरसाइकिल सहित पकड़कर समय 09:15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

अभियुक्त का विवरणः-
कमलेश निषाद पुत्र दयाराम निषाद निवासी रतुआपार टोला देउरवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोगः-
मु0अ0सं0 0020/26 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(3), 3(5), 111(4) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 228/2019 धारा 120बी, 201, 302, 394, 411, 413, 414 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 146/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

बरामदगीः-
मोटरसाइकिल संख्या UP 53 CR 9229 (हीरो स्प्लेंडर) – वाहन धारा 207 एमवी एक्ट में सीज
गिरफ्तारी करने वाली टीमः-
1. उ0नि0 देवीशंकर पाण्डेय
2. का0 शिवानन्द चौधरी
3. रि0का0 अमित तिवारी
4. रि0का0 शिवम कुमार

अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस-विज्ञप्ति, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 29.04.2026

☐ *नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार*
☐ *पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में त्वरित कार्यवाही*

आजमगढ़। जनपद में महिला एवं बाल सुरक्षा के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रौनापार पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 25.04.2026 को प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 99/2026 धारा 64(1), 352 बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण में आरोप है कि अभियुक्त द्वारा रात्रि के समय घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया तथा विरोध करने पर धक्का-मुक्की कर मौके से फरार हो गया। उक्त प्रकरण की विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरणः-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 29.04.2026 को थाना रौनापार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चाँदपट्टी हरिजन बस्ती तिराहे के पास से अभियुक्त को समय 09:30 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया तथा नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त का विवरणः-
सदानन्द साहनी पुत्र धनई साहनी निवासी चाँदपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः-
मु0अ0सं0 99/2026 धारा 64(1), 352 बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

पुलिस टीमः-
1. थाना प्रभारी रामअनुज शुक्ला
2. का0 महेश सरोज
3. रि0आ0 सचिन कुमार गुप्ता
4. म0का0 रत्नावली कुशवाहा

अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस विज्ञप्ति, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 29.04.2026

☐ *नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार*
☐ *कोचिंग के बहाने बहला-फुसलाकर किया शोषण, आरोपी दबोचा गया*

आजमगढ़। जनपद में महिला एवं बाल सुरक्षा के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण के अनुसार दिनांक 28.04.2026 को प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 103/26 धारा 64(2)(f), 351(3) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोप है कि अभियुक्त द्वारा कोचिंग पढ़ाने के दौरान नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा झांसे में रखकर शोषण करता रहा।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 29.04.2026 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर भीमबर नहर पुलिया के पास से वांछित अभियुक्त आनन्द प्रजापति पुत्र सुदर्शन प्रजापति निवासी ग्राम रसूलपुर नन्दलाल थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को समय 08:35 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु न्यायालय भेजा जा रहा है।

अभियुक्त का विवरणः-

आनन्द प्रजापति पुत्र सुदर्शन प्रजापति निवासी ग्राम रसूलपुर नन्दलाल थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 103/26 धारा 64(2)(f), 351(3) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

पुलिस टीमः-

1. सुनील कुमार दुबे, थानाध्यक्ष
2. हे0का0 गांधी यादव
3. का0 संजय सिंह
4. का0 हृदेश गुप्ता
5. रि0का0 आशुतोष सिंह

अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस नोट, थाना पवई, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 29.04.2026

☐ *नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार*
☐ *वीडियो दिखाकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव, आरोपी पुलिस गिरफ्त में*

आजमगढ़। जनपद में महिला एवं बाल सुरक्षा के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पवई पुलिस द्वारा नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने एवं शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण के अनुसार दिनांक 28.04.2026 को वादी द्वारा थाना पवई पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया तथा वीडियो दिखाकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया एवं जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 103/2026 धारा 65(1), 351(3) बीएनएस व 4(2) पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 29.04.2026 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बलुआ मोड़ से वांछित अभियुक्त शिवशंकर पुत्र सिद्धु निवासी ग्राम दनियालपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 35 वर्ष) को समय करीब 09:00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

अभियुक्त का विवरणः-

शिवशंकर पुत्र सिद्धु निवासी ग्राम दनियालपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 103/2026 धारा 65(1), 351(3) बीएनएस व 4(2) पॉक्सो एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 103/2026 धारा 65(1), 351(3) बीएनएस व 4(2) पॉक्सो एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 112/2024 धारा 147, 323, 504, 506, 452 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 138/2023 धारा 147, 452, 504, 506 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. व0उ0नि0 गोपाल जी
2. का0 सुनील कुमार
3. म0का0 अनुराग यादव

अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस नोट, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 29.04.2026

दो फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाकर कूट रचित दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने का मामला उजागर

आजमगढ़। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दीदारगंज पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण के अनुसार पासपोर्ट सत्यापन जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि पासपोर्ट धारक द्वारा अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाते हुए दो पासपोर्ट बनवाए गए। प्रथम पासपोर्ट संख्या K4465814 में जन्मतिथि 20.12.1988 अंकित थी, जबकि दूसरे पासपोर्ट संख्या P1528724 में जन्मतिथि 11.12.1997 अंकित कर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जारी कराया गया था। इस संबंध में थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 75/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-
दिनांक 29.04.2026 को उ0नि0 रमेश चन्द्र यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हुब्बीगंज चौराहा से वांछित अभियुक्त विनय कुमार पुत्र राम सुमेर निवासी ग्राम बीबीगंज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 09:45 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से दो अदद पासपोर्ट बरामद किए गए।

पूछताछ का विवरण:-
पूछताछ में अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसने अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाकर दो पासपोर्ट बनवाए थे।

अभियुक्त का विवरण:-
विनय कुमार पुत्र राम सुमेर निवासी ग्राम बीबीगंज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-
मु0अ0सं0 75/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी:-
दो अदद पासपोर्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 रमेश चन्द्र यादव
2. उ0नि0 करमुल्ला अली

3. हे0का0 रामदीन थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 29.04.2026

☐ *नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार*
☐ *पॉक्सो एक्ट के तहत बढ़ाई गई धाराओं में त्वरित कार्यवाही*

आजमगढ़। जनपद में महिला एवं बाल सुरक्षा के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानागंज पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण के अनुसार दिनांक 25.04.2026 को प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 93/26 धारा 137(2), 87 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरणः-
दिनांक 29.04.2026 को उ0नि0 शिवम त्यागी मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सुहेलदेव विश्वविद्यालय मोड़ से अभियुक्त मोनू पुत्र राजदेव निवासी बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 23 वर्ष) को समय करीब 11:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त का विवरणः-
मोनू पुत्र राजदेव निवासी बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
पंजीकृत अभियोगः-
मु0अ0सं0 93/26 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली टीमः-
1. उ0नि0 शिवम त्यागी
2. हे0का0 राकेश यादव
3. का0 संदीप कुमार

अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।